प्रतिवेदन

परियोजना का नामः— मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे देवल से धानाई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 428/114(2)/16—17 (मु0म0घो0)/2015 दिनांक 23.01.2016 द्वारा 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 35.40 लाख की प्राप्त हुई हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28.'00 से प्रारम्भ हो कर ग्राम धानई तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धानई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1—वन पंचायत भूमि 1.300 कि0मी0 x 7 मी0	=	0.910 हे0
2—नाप भूमि 0.700 कि0मी0 x 7मी0	=	0.490 हे0
3—मक डिस्पोजल हेतु	=	0.030 हे0
योग	=	1.430 हे0 ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.910 है0 वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
	गौचर	गौचर	गौचर